अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–242 सन् 2018

प्रभा देवी .....वादिनी

बनाम

रवीन्द्र सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–02.11.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन आदेश 26 नियम 10 (ए) सिविल प्रकिया संहिता दिनांक–02.09.2020 पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वर्तमान वाद हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जा प्राप्त कराने हेतु व अतिक्रमण हटाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया गया है। विवादित जमीन एक बहुत बड़े प्लॉट जिसकी एराजी एक बिगहा 12 कठा है, उसी का एक अंश है। जिसमें कई मकान मालिक, खरीददार और पर्चा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का बना हुआ है। विवादित एराजी का वैज्ञानिक जांच सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर किया जाना आवश्यक है। ताकि अतिक्रमण भूमि का सही–सही आकलन किया जा सके। वर्तमान वाद में अन्य विवादित प्रश्नों को भी वैज्ञानिक जांच के द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसलिए निवेदन है कि वैज्ञानिक जांच के द्वारा प्रतिवेदन मांग किया जाए।

प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक–11.06.2020 को दाखिल किया गया। जिसमें कथन है कि वादी का आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। वादी के ओर से पूर्व में इस वाद में अधिवक्ता आयुक्त की बहाली करवाई गई थी। जिसका स्थल जांच प्रतिवेदन अभिलेख

में है तथा वादी का इंतनाई आवेदन भी खारिज किया जा चुका है। पूर्व के अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि तकरारी भूमि में ही प्रतिवादी सं0 1 का ईट–बालू रखा हुआ है तथा पेड़–पौधा आदि स्थित है तथा करकटनुमा मकान आदि स्थित है और बाउडरी से घिरा हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 2 और 3 का भी पलानीनुमा घर पूर्व से विवादित भूमि पर स्थित है, तथा इनका खोप, चापाकल, बांस कोठी, पेड़–पौधा आदि स्थित है। तथा प्रतिवादी सं0 2 और 3 को बिहार सरकार द्वारा पर्चा से भूमि प्राप्त हुआ। विवादित भूमि में रामाशंकर महतो, गंगा महतो और जयराम महतो आदि को भी बिहार सरकार द्वारा पर्चा द्वारा प्राप्त भूमि है। जिसमें इनका मकान आदि स्थित है। वादी ने यह वादी तीन कठा 10 धूर भूमि पर किए हैं। जबकि वादी ने सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नियुक्ति के लिए जो आवेदन दाखिल किया है। जिसमें खाता नं0 21, खेसरा नं0 339 की संपूर्ण रकबा की पैमाईश करने तथा संपूर्ण रकबा के किनका–किनका मकान है, इसको दर्शाने का प्रतिवेदन की मांग न्यायालय से किए हैं। जो सर्वथा अनुचित है। वादी साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया है जो न्याय की दृष्टिकोण से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक–02.09.2019 को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह हकियत वाद वादिनी प्रभा देवी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र के सिडियुल नं0 1 में वर्णित विवादित भूमि खाता नं0 21 सर्वे नं0 349 रकबा 3 कठा 10 धूर के निष्पत अतिक्रमण हटवाकर दखल कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया है। वादिनी के द्वारा इसके पूर्व अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दिनांक–05.01.2019 को दाखिल किया गया था। उसके पश्चात् न्यायालय द्वारा आवेदन पर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति किया गया था। पुनः वादिनी के द्वारा अतिक्रमण से संबंधित वैज्ञानिक पैमाईश हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया ह। चूंकि यह

हकियत वाद अतिकमण के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया। इसलिए विवादित भूमि की वैज्ञानिक पैमाईश सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादिनी की ओर से दाखिल दिनांक 02.09.2019 को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादिनी को निर्देश दिया जाता है कि वे सर्वे जानकार अधिवक्ता शुल्क 2500/– रूपये नजारत में जमा करें।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वादिनी के द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त शुल्क जमा करने के पश्चात् उनकी नियुक्ति हेतु श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पास मनोनयन पत्र भेजें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–07.12.2020

सब जज

सोनपुर सारण।